प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' छहित्तर '

प्रश्न संख्या [4311]

[9/3/2016]

परिशिष्ट - एक

अतारांकित - 4311

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 519 / 948 / 2015 / 20-1 भोपाल, दिनांक 4/6/15

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय:– स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं कर्मचारियों को बी.एल.ओ. ड्यूटी से मुक्त करने संबंधी।

संदर्भ:– विभागीय पत्र दि. 27.02.2015।

–0–

स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को बूथ लेवल ऑफीसर (बी.एल.ओ.) के कार्य से मुक्त करने के सम्बन्ध में संदर्भित निर्देश जारी किए गए थे। उक्त जारी निर्देशों मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1/ शिक्षकों से बी.एल.ओ. के रूप में फुल टाईम (पूर्ण कालिक) कार्य किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाना चाहिए।

2/ अन्य विभागों के सेवा स्तरीय कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में शिक्षकों से बी.एल.ओ. के रूप में मात्र अंशकालिक (पार्ट टाईम) कार्य ही लिया जाना चाहिये, और वह भी उनके कार्य स्थल व शैक्षणिक कार्य अवधि को बिना परिवर्तित किये।

3/ चूंकि शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य के लिए पृथक से मानदेय प्राप्त होता है, अतः उनके द्वारा अपना मूल शैक्षणिक कार्य बिना प्रभावित किये, ड्यूटी ऑवर के पश्चात् ही बी.एल.ओ. का कार्य लिया जाना चाहिए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

(एस.आर.मोहन्ती)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. 620 / 948 / 2015 / 20–1 भोपाल, दिनांक 4/6/15

प्रतिलिपि:–

1– निज सचिव, मान. मंत्री जी / राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन,भोपाल।
2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3– संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव विधि(निर्वाचन) विभाग,भोपाल।
4– आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र / लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
5– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

/ लेखीराम /
00062015

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग